न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 99 वर्ष 2016

आवेदक–बाजुन माँझी वेगै0	क्रेता– राउतु सोरेन
ग्राम – टाँड बालीडीह	ग्राम –टाँड़ बालीडीह टोला– +++
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो	थाना – जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ। 03

26/5/17

आदेश

यह वाद आवेदक– 01. बाजुन माँझी पिता स्व0 सोखा माँझी 02. रूदाय माँझी पिता स्व0 कालीचरण माँझी दोनो निवासी ग्राम–टाँड़ बालीडीह थाना जरीडीह जिला – बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	खण्ड	भूमि दर्जा
टाँड़ बालीडीह	13	13	882	27 डी0	13 डी0	प्रथम क्यारी 05 डी0 द्वितीय क्यारी 08 डी0	आवासीय योग्य

को बिक्रेता सं0 1 अपनी पुत्री की शादी खर्च के लिए एवं विक्रेता सं0 2 अपने पिता के श्राध कर्म के खर्च की भरपाई हेतु मो0 6,45,000/– (छः लाख पैतालीस हजार) रूपये में क्रेता– राउतु सोरेन स्व0 बाले सोरेन ग्राम– टाँड़ बालीडीह थाना –जरीडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 586/रा0 दिनांक 28.10..2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 02 दिनांक 11.01.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम– टाँड़ बालीडीह थाना– जरीडीह जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता सं0 1 के परदादा तथा बिक्रेता सं0 2 के परदादा के पिता मंगला माँझी के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी कुंजल माँझी वेगै0 के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 155/I पर दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा/परदादा के पिता मंगला माँझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी कुजल माँझी वेगै0 के नाम चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है,

c-c Issued 8/6/17

तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– मंगला माँझी के नाम सर्वे खतियान, तथा कुंजल माँझी वेगैं0 के नाम लगान रसीद की छायाप्रति।

02. क्रेता–स्वयं के नाम निबंधित केवाला सं0 2459 दिनांक 26.06.2006 सरकारी लगान रसीद एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संताल अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक 01. बाजुन माँझी पिता स्व0 सोखा **माँझी** 02. रूदाय माँझी पिता स्व0 कालीचरण माँझी दोनों निवासी ग्राम–टाँड़ बालीडीह थाना जरीडीह जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
टाँड़ बालीडीह 13	13	882	27 डी0	05 डी0 क्यारी–1	परती	पुरन माँझी	नीज क्रेता	दुर्गा माँझी
				08 डी0 क्यारी–2	परती	मंगल माँझी	दुर्गा माँझी	मंगल माँझी
कुल 13 (तेरह) डीस्मिल मात्र।								

मो0 7,03,000/– (सात लाख तीन हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– राउतु सोरेन स्व0 बाले सोरेन ग्राम– टाँड़ बालीडीह थाना –जरीडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

26/05/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

26/05/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 01:02:33 -08:00
Location: 192.168.1.35